(21)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 120 / 2018 दायर दिनांक–01.08.2018

1. भंवर सिंह पुत्र बालसिंह पौत्र मोबसिह
2. रतन कंवर पत्नी बालसिह पुत्रवधु मोबसिंह

जाति राजपूत निवासी गण निर्वाणों की ढाणी तन देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र गोपी जी जाति पुरोहित निवासी देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान। (नोट :– इस नाम का व जाति का कोई व्यक्ति नही है।)
2. रधुनाथ सिह पुत्र बालसिंह पौत्र मोबसिह जाति राजपूत निवासी निर्वाणों की ढाणी तन देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री विनोद सिंह शेखावत

वकील प्रति॰ नं॰ 2 : – श्री सम्पत सिह शेखावत

दावा : बाबत घोषणार्थ व

दुरूस्त करवाने राजस्व रिकार्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 10–10–2022

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वादी द्वारा वाद पत्र इस कदर पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 स्वर्गीय मोबसिह उर्फ गोमसिह पुत्र आशसिंह के वैध वारिसान व उतराधिकारी है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के दादाजी मोबसिह उर्फ गोमसिंह का दिनाक 13.08.1985 एवं पिताजी बालसिंह का दिनांक 05.01.2000 को स्वर्गवास हो गया है। इसलिए उनकी तमाम चल–अचल सम्पति पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 काबिज व आबाद है एवं उपयोग– उपभोग करते है। प्रतिवादी संख्या 2 बाहर कमाने खाने के लिए गया होने से इसको प्रफोर्मा डिफेंडेन्ट बनाया गया है।

वादीगण के पूर्वज (दादाजी) मोबसिह उर्फ गोमसिंह की खातेदार व कब्जे काश्त की कृषि भूमि नई खाता संख्या 383 की खसरा नम्बर 364 रकबा 0.7300 हैक्टर स्थित है, जिसके सम्वत 2055 से 2058 के पुराने खसरा नम्बर 349 जिसके तस्दीक वर्ष 1985 के पुराने मूल खसरा नम्बर 271 तादादी 2 बीघा 18 बिश्वा पुख्ता है, जिसको पहले वादीगण के दादाजी व पिताजी काश्त करते थे और खातेदार काश्तकार थे उसके पश्चात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 काश्त करते है एवं काबिज व आबाद है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का बराबर–बराबर 1/3–1/3 हक हिस्सा व स्वामित्व है जो पैतृक सम्पति है। उक्त कृषि भूमि हमेशा से ही वादीगण व उसके पूर्वजों के कब्जे काश्त व खातेदारी की रही है तथा उक्त तथ्य राजस्व रिकार्ड की पुरानी जमाबन्दियों व खसरा गिरदावरियों से साबित है लेकिन उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में पहले तो वादीगण के दादाजी की जाति राजपूत के स्थान पर पुरोहित दर्ज कर दिया है जो लिपिकीय अशुद्धि है जबकि [illegible] एवं उसके पूर्वजों के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात से उनकी जाति राजपूत होना प्रमाणित [illegible] सही व दुरूस्त किया जाना उचित है। हालांकि उक्त [illegible] तक वादीगण एवं इसके पूर्वजों के नाम दर्ज रहा है लेकिन [illegible] वादीगण एवं उसके पूर्वजों [illegible] सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ही उक्त कृषि भूमि की ख[illegible]री बाला–बाला ही विधि वि[illegible] कार्यवाही करके प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई है तथा जिसके पक्षक में नामान्तरकरण संख्या 815 भरा जाकर सरपंचा ग्राम पंचायत चिराना द्वारा तस्दीक किया है जबकि पटवारी हल्का ने उक्त कृषि भूमि के कब्जे काश्त एवं वारिसान बाबत कोई जांच एवं पुछताछ नही की गई है और ना ही ग्राम पंचायत चिराना के सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है। इस कारण उक्त कृषि भूमि का रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:45 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गया है। जबकि प्रतिवादी नम्बर 1 वादीगण के दादाजी व पिताजी का कोई वारिस व उतराधिकारी नही है और नई पैमाईश वालो को इस प्रकार से वादीगण कोउनकी पैतृक व कब्जे काश्त की कृषि भूमि से वंचित करके खातेदारी करके खातेदारी बदलने का कानूनी रूप से कोई हक नही था तथा ग्राम देवीपुरा (निर्वाणों की ढाणी) में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व वल्दियत नाम का कोई व्यक्ति नही हो, लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज रहने से वाद–पत्र में पाकार बनाया गया है। इसकारण उक्त कृषि के राजस्व रिकार्ड वादीगण के दादाजी का सही नाम मोबसिह पुत्र आशसिंह दर्ज किया जाकर सम्पूर्ण भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायसंगत है और प्रतिवादी संख्या 1 का नाम रास्व रिकार्ड से हजफ किया जावे। इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड सही व दुरूस्त कियाजाने बाबत उक्त वाद–पत्र पेश किया है जिसमें उक्त भूमि को प्रश्नगत कृषि भूमि के नाम`स सम्बोधित किया गया है।

नई पैमाईश वालों को प्रश्नगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत करने का कोई हक अधिकार नही था तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तकरण भरा गया है उसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक पैदा नही होते है। और वैसे भी नामान्तकरण भरना फिसिकल कार्यवाही होती है। जिसके आधार पर किसी को हक पैदा नही होते है और ना ही किसी के हक समाप्त होते है। इस कारण उक्त नामान्तकरण वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध एबिनिशियों वोईड होने खारीज व निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत कृषि भूमि का मौजूदा राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत दर्ज है जो बेनामी व्यक्ति है। जबकि प्रश्नगत कृषि भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा काश्तव स्वामित्व शांतिपूर्वक तरीके से चलाआ रहा है। इस कारण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का प्रश्नगत कृषि भूमि का बराबर–बराबर 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहीत में उचित है।

प्रश्नगत कृषि भूमि के गलत राजस्व रिकार्ड के बारे में वादीगण को पहले कोई जानकारी नही थी। लेकिन वादीगण ने दिनांक 13.07.2018 को पटवार हल्का से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण अनुदान बाबत नकल प्राप्त करने के लिए निवेदन किया तब पटवार हल्का ने बताया कि उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज हो रहा है तत्पश्चात वादीगण ने प्रश्नगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की नकले दिनाक 09.07.2018 व दिनांक 13.07.2018 को प्राप्त करने पर गलत रिकार्ड दर्ज हो जाने की प्रथम बार जानकारी हुई है। इस कारण वादीगण तुरन्त ही उक्त वाद पत्र पेश किया गया है। प्रश्नगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज रहने से वादीगण कई प्रकार की परेशानी पैदा होती है तथा भविष्य में चलकर वादीगण को कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जिसमें समय व धन की बर्बादी होगी और अपार क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति होना किसी भी हालत में सम्भव नही होगा। प्रश्नगत कृषि भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है जिस पर वादीगण एवं उसके पूर्वजों का कब्जा काश्त व स्वामित्व है इसलिए वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है।

वादीगण ने अपने वाद–पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि वाद बहक वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 के विरूद्ध अन्य प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रश्नगत कृषि भूमि नये खसरा नम्बर 364 रकबा 0.7300 हैक्टर जिसके पुराने मूल खसरा नम्बर 271 तादादी 2 बीघा 18 बिश्वा पुख्ता के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 को बराबर–बराबर 1/3 – 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 वाके दादाजी का नाम मोब सिंह उर्फ मोम सिह पुत्र आशसिंह पुरोहित के स्थान'' मोबसिह पुत्र आशसिह जाति राजपूत दर्ज करके संशोधन किया जावे और इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड सही व दुरूस्त किया जाकर अमल दरामद करने बाबत प्र[illegible] 3 को आदेशित व निर्देशित किया जावे। अन्य कोई सिद्धि चाही जाने से रह गई हो [illegible] जावे। खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र पेश [illegible] रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशन नाम [illegible] व्यक्ति ग्राम देवीपुरा मे नही होना तामिल कुनिन्दा की रिपार्ट आने पर प्रतिवादी संख्या 1 के संबंध में तथा वाद–पत्र वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार नवलगढ से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर वकील श्री सम्पत सिह शेखावत ने वकालतनामा साथ ही इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादीगण के द्वारावाद–पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाता है तो जवाबदेहन्दागण को कोई ऐतराज नही नही है। प्रतिवादी संख्या 03 बावजूद सम्यक तामिल के उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 01 के संबंध में तहसीलदार नवलगढ द्वारा रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./1719 दिनांक 15.07.2022 को प्रस्तुत कर अंकित किया कि खसरा नम्बर 364 रकबा 0.7300 किस्म बारीन प्रथम की सम्वत् 2075–2078 में खातेदारी रामकिशन पुत्र गोपजी जाति पुरोहित नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 364 के पुराने खसरा नम्बर 271 है। पूर्व में जमाबंदी रिकार्ड सम्वत् 2012–2015 में खसरा नम्बर 4 (भूमि अधिकारी (जागीरदार उप जागीरदार) और मालगुजार बिस्वेदार या जमीदार विवरण सहित) में " मु. चन्द कुमारी बेवा किशोर सिह कौम राजपूत साकिन देह तथा कॉलम नम्बर 5 (नाम कृषक विवारण सहित और कृषि काज) में "गोमजी पुत्र आशजी कौम राजपूत साकिन देह मु. पूसाल" दर्ज रिकार्ड था। उसके बाद सम्वत् 2016 से 2019 जमाबन्दी में क्रम संख्या 5 में " गोमजी पुत्र आस जी पिरोत साकिन देह दर्ज रिकार्ड हो गया जो उसके बाद बनी जमाबंदियों में लगातार चलता रहा। वाद में नामान्तकरण के द्वारा रामकिशन पुत्र गोमजी पीरोटा के नाम दर्ज हो गया जबकि खसरा गिरदावरी 2012–13, 2016, 2017, 2018, 2021 व 2022 सम्वत् में मोबी पुत्र आसजी राजपूत साकिन देह दर्ज रिकार्ड था। मोके पर मोबजी पुत्र आसजी जाति राजपूत के वारीसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 का कब्जा काश्त है। वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा बाजरा फसल की काश्त की हुई है। मोके पर उपिस्थत वादीगण व ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि ग्राम देवीपुरा में गोमजी पुत्र आसजी कौम पुरोहित नाम का कोई व्यक्ति ना तो था और ना ही है तथा ना ही रामकिशन पुत्र गोपजी नाम के व्यक्ति ने कभी उक्त खसरा नम्बर में फसल काश्त की। पूर्व में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 के पूर्वजों द्वारा व वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 के द्वारा ही खसरा नम्बर 364 रकबा 0.73 हैक्टर (पुराने खसरा नम्बर 271 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा) की फसल काश्त करते रहे है तथा इन्ही का कब्जा बताया गया।

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 01 के नाम का कोई व्यक्ति नही होने तथा प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 03 की एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई जा चुकी है, के फलस्वरूप प्रकरण में तनकी कायम किये जाना अपेक्षित नही रहती है।

शहादत ली गई। शहादत वादी में वादी स्वयं भंवर सिह तथा गवाह छगन सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह उपस्थित होकर अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। वादी द्वारा अन्य कोई शहादत वादी पेश नही करना जाहिर करने पर वादी की शहादत बंद की गई। वादी द्वारा अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 ग्राम देवीपुरा की नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–2071, प्रदर्श–2 नकल नामान्तकरण, प्रदर्श–3 नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2055–2058, प्रदर्श–4 नकल मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985, प्रदर्श–5 खतौनी रजिस्टर तस्दीक वर्ष 1985, प्रदर्श–8 नकल जमाबंदी समवत 2012– 2015, प्रदर्श–9 नकल जमाबंदी सम्वत् 2016–2019, प्रदर्श–10 नकल जमाबंदी सम्वत् 2020–2023 प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिवादीगण की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही एवं प्रतिवादी नम्बर 02 का एकबालिया जवाब आने से प्रकरण में शहातद प्रतिवादी नही ली गई।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस वकील वादी एकपक्षीय बगौर सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद–पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 स्वर्गीय मोबसिह उर्फ गोमसिह पुत्र आशसिंह के विधिक वारिसान व उतराधिकारी है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के दादाजी मोबसिह उर्फ गोमसिंह का दिनाक 13.08.1985 एवं पिताजी बालसिंह का दिनांक 05.01.2000 को स्वर्गवास हो गया है। इसलिए उनकी चल–अचल सम्पति पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 काबिज व आबाद है एवं उपयोग– उपभोग करते है। खसरा नम्बर 364 रकबा 0.7300 किस्म बारीन प्रथम की सम्वत् 2075–2078 में खातेदारी रामकिशन पुत्र गोपजी जाति पुरोहित नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 364 के पुराने खसरा नम्बर 271 है। पूर्व में जमाबंदी रिकार्ड सम्वत् 2012–2015 में खसरा नम्बर 4 (भूमि अधिकारी (जागीरदार उप जागीरदार) और मालगुजार बिस्वेदार या जमीदार विवरण सहित) में " मु. चन्द कुमारी बेवा किशोर सिह कौम राजपूत साकिन देह तथा कॉलम नम्बर 5 (नाम कृषक विवारण सहित और कृषि काज) में "गोमजी पुत्र आशजी कौम राजपूत साकिन देह मु. पूसाल" दर्ज रिकार्ड था। उसके बाद सम्वत् 2016 से 2019 जमाबन्दी में क्रम संख्या 5 में " गोमजी पुत्र आस जी पिरोत साकिन देह दर्ज रिकार्ड हो गया जो उसके बाद बनी जमाबंदियों में लगातार चलता रहा। वाद में नामान्तकरण के द्वारा रामकिशन पुत्र गोमजी पीरोटा के नाम दर्ज हो गया जबकि खसरा गिरदावरी 2012–13, 2016, 2017, 2018, 2021 व 2022 सम्वत् में मोबी पुत्र आसजी राजपूत साकिन देह दर्ज रिकार्ड था। मोके पर मोबजी पुत्र आसजी जाति राजपूत के वारीसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 का कब्जा काश्त है। वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा बाजरा फलस की काश्त की हुई है। ग्राम देवीपुरा में गोमजी पुत्र आसजी कौम पुरोहित नाम का कोई व्यक्ति ना तो था और ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:45 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

है तथा ना ही रामकिशन पुत्र गोपजी नाम के व्यक्ति ने कभी उक्त खसरा नम्बर में फसल काश्त की। पूर्व में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 के पूर्वजों द्वारा व वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 के द्वारा ही खसरा नम्बर 364 रकबा 0.73 हैक्टर (पुराने खसरा नम्बर 271 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा) की फसल काश्त करते रहे है तथा इन्ही का कब्जा है। वादीगण के पूर्वज (दादाजी) मोबसिह उर्फ गोमसिंह की खातेदार व कब्जे काश्त की कृषि भूमि नई खाता संख्या 383 की खसरा नम्बर 364 रकबा 0.7300 हैक्टर स्थित है, जिसके सम्वत 2055 से 2058 के पुराने खसरा नम्बर 349 जिसके तस्दीक वर्ष 1985 के पुराने मूल खसरा नम्बर 271 तादादी 2 बीघा 18 बिश्वा पुख्ता है, जिसको पहले वादीगण के दादाजी व पिताजी काश्त करते थे और खातेदार काश्तकार थे उसके पश्चात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 काश्त करते है एवं काबिज व आबाद है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का बराबर–बराबर 1/3–1/3 हक हिस्सा व स्वामित्व है जो पैतृक सम्पति है। उक्त कृषि भूमि हमेशा से ही वादीगण व उसके पूर्वजों के कब्जे काश्त व खातेदारी की रही है तथा उक्त तथ्य राजस्व रिकार्ड की पुरानी जमाबन्दियों व खसरा गिरदावरियों से साबित है लेकिन उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में पहले तो वादीगण के दादाजी की जाति राजपूत के स्थान पर पुरोहित दर्ज कर दिया है जबकि वादीगण एवं उसके पूर्वजों के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात से उनकी जाति राजपूत होना प्रमाणित है, जिसका संशोंधन किया जाकर सही व दुरूस्त किया जाना उचित है। हालांकि उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड नई पैमाईश तक वादीगण एवं इसके पूर्वजों के नाम दर्ज रहा है लेकिन नई पैमाईश वालों ने वादीगण एवं उसके पूर्वजों को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ही उक्त कृषि भूमि की खातेदारी विधि विरूद्ध कार्यवाही करके प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई है तथा जिसके पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 815 भरा दिया गया। इस कारण उक्त कृषि भूमि का रिकार्ड गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गया। जबकि प्रतिवादी नम्बर 1 वादीगण के दादाजी व पिताजी का कोई वारिस व उतराधिकारी नही है और नई पैमाईश वालो को इस प्रकार से वादीगण को उनकी पैतृक कब्जे काश्त की कृषि भूमि से वंचित करके खातेदारी बदलने का कानूनी रूप से कोई हक नही था। ग्राम देवीपुरा (निर्बाणों की ढाणी) में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व वल्दियत नाम का कोई व्यक्ति नही हो, लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज रह गया। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के दादाजी का सही नाम मोबसिह पुत्र आशसिंह दर्ज किया जाना उचित है। सम्पूर्ण भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायसंगत है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाना उचित है। नई पैमाईश वालों को प्रश्नगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत करने का कोई हक अधिकार नही था तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तकरण भरा गया है उसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक पैदा नही होते है। प्रश्नगत कृषि भूमि का मौजूदा राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत दर्ज है जो बेनामी व्यक्ति है। जबकि प्रश्नगत कृषि भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा काश्त व स्वामित्व चला आ रहा है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का प्रश्नगत कृषि भूमि का बराबर–बराबर 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहीत में उचित है। फलस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश :: देवीपुरा

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम ~~मोठ्डा~~ की सरहद में खसरा नम्बर 364 रकबा 0.7300 हैक्टर जिसके पुराने मूल खसरा नम्बर 271 तादादी 2 बीघा 18 बिश्वा पुख्ता के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 को बराबर–बराबर 1/3 – 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 वाके दादाजी का नाम मोब सिंह [illegible] के स्थान" मोबसिह पुत्र आशसिह जाति राजपूत राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जा[illegible]र नवलगढ को आदेश दिये जाते है राजस्व रिकार्ड दुरूस्त क[illegible] किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। [illegible] निर्णय आज दिनांक 10–10–2022 को खुले न्यायालय म[illegible]।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:45 IST
Reason: SelfAttested

(25)

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

दावा : बाबत घोषणार्थ व
दुरूस्त करवाने राजस्व रिकार्ड

मुकदमा सं0:– 120 / 2018 (भंवर सिंह आदि बनाम रामकिशन आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

~~दीपुरा~~ निर्णय दिनांक 10.10.2022 निर्णय अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम ~~मोडा~~ की सरहद में खसरा नम्बर 364 रकबा 0.7300 हैक्टर जिसके पुराने मूल खसरा नम्बर 271 तादादी 2 बीघा 18 बिश्वा पुख्ता के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 को बराबर–बराबर 1/3 – 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 वाके दादाजी का नाम मोब सिंह उर्फ मोम सिह पुत्र आशसिंह पुरोहित के स्थान'' मोबसिह पुत्र आशसिह जाति राजपूत राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर मुताबिक घोषित खातेदारी अनुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

जिन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.10.2022 को जारी की गई।

ए.सी.ई.एम.(कवंर दे)
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:45 IST
Reason: SelfAttested